FORM-D

(As per Rule No. 239A of C.G. Rules and Order (Criminal)

IN THE COURT OF JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS PALI, DISTT. KORBA (C.G.) Presiding Officer – Shweta Mishra	
(Date of Judgment : 26/02/2024) (Case No. 596/2022) (FIR/Crime No. 472/2022, Police Station Hardibazar, Distt. Korba (C.G.)	
Complainant	State of Chhattisgarh through Police Station Hardibazar, Distt. Korba (C.G.)
Represented By	Shri Sudheer Kumar (ADPO)
Accused	Harnarayan Vishwakarma S/o Budhram Age 35 Year, R/o Nevsa, Ps Haridibazar, Distt- Korba (C.G.)
Represented by Advocate	Shri- Tirith lal Dixena

FORM-E

Date of Offence	21-09-2022
Date of FIR	22-09-2022
Date of Framing of Charge	23-01-2023
Date of Commencement of Evidence	23-01-2023
Date of which Judgment is reserved	26-02-2024
Date of Judgment	26-02-2024
Date of the Sentencing Order, if any	Nil

Sd/-
(Shweta Mishra)
Judicial Magistrate First Class
Pali, Distt. Korba (C.G.)

Accused Detail

Rank of the Accused	Name of the Accused	Date of arrest	Date of release on bail	Offence charged with	Whether acquitted of convicted	Sentence imposed	Period of detention undergone during trial for purpose of section 428 Cr.P.C.
01	Harnarayan	21-09-2022	21-09-2022	Sec-34 (1) (a) (b) C.G. Exise Act.	Acqutted	Nil	Nil

FORM-F

S.No.	Description	Page No.
1.	Heading of Judgment	03
2.	Appearance of Advocates	03
3.	Admitted Facts	04
4.	Prosecution Story	04
5.	Accused Plea	04-05
6.	Charge	05
7.	Reasons and findings	05-07
8.	Sentence	07
9.	Period of Detention & Set-Off	08
10.	Disposal of Property	08
11.	Order of Compensation	Nil
12.	Certificate under section 428 Cr.P.C.	09
13.	Warrant of Commitment on a sentence	-
14.	Copy of Judgment	03-08

(Shweta Mishra)
Judicial Magistrate First Class
Pali, Distt. Korba (C.G.)

न्यायालय-श्वेता मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पाली, जिला-कोरबा (छ.ग.)

दांडिक प्रकरण क्रमांक-५९६/२०२२

प्रकरण संस्थित दिनांक-१३/११/२०२२

अपराध क्रमांक -४७२/२०२२

छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र थाना हरदीबाजार
जिला-कोरबा (छ०ग०) ..... अभियोजन

-○:: विरूद्ध ::○-

हरनारायण विश्वकर्मा पिता बुधराम
उम्र ३५ वर्ष, साकिन नेवसा,
थाना हरदीबाजार, जिला-कोरबा (छ.ग.) ..... अभियुक्त

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री सुधीर कुमार उपस्थित।
अभियुक्त की ओर से श्री तिरिथ लाल डिक्सेना अधिवक्ता।

// निर्णय//

{आज दिनांक २६/०२/२०२४ को घोषित }

{०१} अभियुक्त हरनारायण विश्वकर्मा के विरूद्ध छ .ग. आबकारी अधिनियम १९१५ की धारा-३४(१)(क)(ख) के तहत अभियोग है कि उसने दिनांक २१.०९.२०२२ को समय लगभग १५:४५ बजे स्थान ग्राम नेवसा अन्तर्गत थाना हरदीबाजार जिला-कोरबा छ.ग. में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से एक पीले मटमैला कलर का ५ लीटर क्षमता वाली जरीकेन में रखा करीब ३.५ बल्क लीटर कच्ची महुआ शराब एवं बिक्री रकम १००/- रूपये को विक्रय प्रयोजनार्थ अपने कब्जे में रखा एवं विक्रय किया।

{०२} प्रकरण में स्वीकृत तथ्य का अभाव है।

{०३} अभियोजन का मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक २१.०९.२०२२ को देहात भ्रमण, जूर्म जरायम पतातलाश हेतु रवाना हुए थे कि विवेचक को जरिये मुखबीर सूचना मिली कि अभियुक्त हरनारायण विश्वकर्मा ग्राम नेवसा में अपने बाड़ी में अवैध रूप से लाभ कमाने के लिए शराब कब्जा में रखा बिक्री कर रहा है, उक्त सूचना पर हमराह स्टॉफ के रवाना एवं गवाहों को सूचना से अवगत कराकर घटना स्थल जाकर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया। अभियुक्त के कब्जे से ग्राम नेवसा में एक पीले मटमैला कलर का ५ लीटर क्षमता वाली जरीकेन में रखा करीब ३.५ बल्क लीटर हाथ भट्टी से बनी कच्ची महुआ शराब को विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखा हुआ मिला, जिसे गवाहों के समक्ष जप्त कर अभियुक्त के विरूद्ध धारा ३४ (१)(क)(ख) छ.ग. आबकारी अधिनियम १९१५ के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। अभियुक्त को साक्षियों के समक्ष विधिवत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। प्रकरण के साक्षियों का कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया गया। विवेचक के द्वारा जप्तशुदा शराब को परीक्षण करने के लिए सीलबंद कर आबकारी कार्यालय दीपका प्रेषित किया गया था तथा विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

{०४} अभियुक्त को छ.ग. आबकारी अधिनियम १९१५ की धारा ३४(१)(क)(ख) के अधीन अपराध विवरण विरचित कर उसकी विशिष्टयां पढ़कर सुनाये

व समझाये जाने पर अभियुक्त ने ऐसा अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण का दावा किया। धारा-३१३ द.प्र.सं. के तहत परीक्षण दौरान पूछे जाने पर स्वयं को निर्दोष होना बताकर झूठा फंसाये जाने का कथन किया।

{०५} **प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न हैः-**

(१) क्या अभियुक्त हरनारायण विश्वकर्मा ने दिनांक २१.०९.२०२२ को समय लगभग १५:४५ बजे स्थान ग्राम नेवसा अन्तर्गत थाना हरदीबाजार जिला-कोरबा छ.ग. में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से एक पीले मटमैला कलर का ५ लीटर क्षमता वाली जरीकेन में रखा करीब ३.५ बल्क लीटर कच्ची महुआ शराब एवं बिक्री रकम १००/- रूपये को विक्रय प्रयोजनार्थ अपने कब्जे में रखा एवं विक्रय किया?

(२) दोषसिद्धि एवं दण्डादेश ?

{०६} अभियोजन की ओर से अपने पक्ष में नवल यादव (अ.सा.क्र.०१) एवं विसम्भर पटेल (अ.सा.क्र.०२) का परीक्षण कराया गया है तथा बचाव पक्ष द्वारा अपने पक्ष में कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया है।

-ः: <u>साक्ष्य विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष</u> ः::-

ः:<u>विचारणीय प्रश्न क्र. ०१ का सकारण निष्कर्षः:</u>

{०७} **स्वतंत्र साक्षी नवल यादव (अ.सा.क्र.०१) एवं विसम्भर पटेल (अ.सा.क्र.०२)** ने अपने-अपने न्यायालयीन कथन में अभियुक्त को जानना-पहचानना व्यक्त करते हुए पुलिस के द्वारा स्वयं के समक्ष किसी भी कार्यवाही

को करने से इंकार किया तथा धारा १६० द.प्र.सं. की नोटिस प्र.पी. १, मुखबीर सूचना पंचनामा प्र.पी. २, जप्ती पत्रक प्र.पी. ३, गिरफतारी पत्रक प्र.पी. ४ के क्रमशः अ से अ भाग एवं ब से ब भाग पर अपना-अपना हस्ताक्षर पुलिस के कहने पर करना बताया है। उक्त दोनों साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षीगण ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

{०८} सम्पूर्ण तथ्यों के विवेचना एवं विधिक विश्लेषण के उपरांत अभियोजन के द्वारा परिक्षित प्रकरण के स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा विवेचक के द्वारा की गयी जप्ती की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया है एवं समस्त कार्यवाही एवं दस्तावेजों में पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किया जाना बताया गया है, जिसके परिणामस्वरूप यह सिद्ध नहीं होता है कि विवेचक के द्वारा घटना दिनांक को अभियुक्त हरनारायण विश्वकर्मा के कब्जे से जप्ती पत्रक प्र.पी. ३ में उल्लेखित ३.५ लीटर हाथ भट्टी का कच्ची महुआ शराब को उसके आधिपत्य से विक्रय प्रयोजनार्थ हेतु रखे हुए जप्त किया गया था।

{०९} अभियोजन द्वारा स्वतंत्र साक्षी साक्ष्य के अभाव में अभियोजन यह साबित कर पाने में असफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक को अभियुक्त हरनारायण विश्वकर्मा के कब्जे से जप्ती पत्रक प्र.पी. ३ में उल्लेखित जप्तशुदा हाथ भट्टी का कच्ची महुआ शराब पुलिस द्वारा जप्त किया गया था। अतः

अभियोजन के असमर्थनीय साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त हरनारायण विश्वकर्मा ने दिनांक २१.०९.२०२२ को समय लगभग १५:४५ बजे स्थान ग्राम नेवसा अन्तर्गत थाना हरदीबाजार जिला-कोरबा छ.ग. में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से एक पीले मटमैला कलर का ५ लीटर क्षमता वाली जरीकेन में रखा करीब ३.५ बल्क लीटर कच्ची महुआ शराब एवं बिक्री रकम १००/- रूपये को विक्रय प्रयोजनार्थ अपने कब्जे में रखा एवं विक्रय किया। अतः अभियुक्त हरनारायण विश्वकर्मा को छ.ग. आबकारी अधिनियम १९१५ की धारा ३४(१)(क)(ख) के तहत दण्डनीय अपराध के अभियोग के अधीन संदेह का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः विचारणीय प्रश्न क्र. १ का निष्कर्ष **"साबित नहीं"** में दिया जाता है।

::विचारणीय प्रश्न क्र. ०२ का सकारण निष्कर्ष::

{१०} सम्पूर्ण तथ्यों एवं दस्तावजी साक्ष्य के विश्लेषण उपरांत अभियोजन अभियुक्त हरनारायण विश्वकर्मा के विरूद्ध अभियोग युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त हरनारायण विश्वकर्मा को छ.ग. आबकारी अधिनियम १९१५ की धारा ३४(१)(क)(ख) के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए **"दोषमुक्त"** घोषित किया जाता है।

{११} अभियुक्त के पूर्व के जमानत व बंधपत्र निरस्त कर भारमुक्त किया जाता है।

{१२} अभियुक्त के अभिरक्षा में रहने की अवधि के संबंध में धारा ४२८ द.प्र.सं. १९७३ के तहत पृथक से मुजरा प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

{१३} प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति हाथ भटठी का बना हुआ ३.५ लीटर कच्ची महुआ शराब मूल्यहीन होने के कारण नष्ट किया जावे तथा बिक्री रकम १००/- रूपये को शासन के पक्ष में राजसात किया जावे। उक्त आदेश का पालन अपील अवधि पश्चात किया जावेगा, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार निराकरण किया जावेगा।

{१४} अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत धारा ४३७(ए) द.प्र.सं. १९७३ के तहत प्रस्तुत प्रतिभूओं सहित बंधपत्र ६ माह तक प्रवृत्त रहेगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित कर घोषित किया गया। **मेरे निर्देशानुसार टंकित।**

Sd/-
(श्वेता मिश्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
पाली,जिला-कोरबा (छ.ग.)

Sd/-
(श्वेता मिश्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
पाली,जिला-कोरबा (छ.ग.)

निरोध अवधि तालिका
अन्तर्गत धारा-४२८ दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रमाण पत्र

अभियुक्त का नाम	**हरनारायण विश्वकर्मा**
गिरफ्तारी दिनांक	दिनांक २१.०९.२०२२
पुलिस अभिरक्षा की अवधि	निरंक
न्यायिक अभिरक्षा की अवधि	निरंक
मुजरा या सेटऑफ की अवधि	निरंक

Sd/-
(श्वेता मिश्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
पाली,जिला-कोरबा (छ.ग.)